रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270484
CG-DL-E-25022026-270484

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 133] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.139.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 30 के उप-विनियम

(2) में, "अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्यांकन मानकों" शब्दों के स्थान पर "ऐसे मूल्यांकन मानकों, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किए जाएं" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल विनियमों के विनियम 30 में, उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित प्ररूप के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ रखेगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./716/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 412, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.051, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 सं. 72, तारीख 31 जनवरी, 2024 में अधिसूचित सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/ जी.एन./आर.ई.जी.108, तारीख 31 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम 2024 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG139.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 30, in sub-regulation (2), for the words "internationally accepted valuation standards" the words "such valuation standards as notified by the Board through circular" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 30, after sub-regulation (4), the following shall be inserted, namely:-

"(5) For the purposes of this regulation, a registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./716/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published vide notification No. IBBI/2019- 20/GN/REG051, dated 20th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 412 on 20th November, 2019 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024 published vide notification No. IBBI/2023-24/GN/REG108, dated the 31st January, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.72 on 31st January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.25 22:41:03 +05'30'